

सूचना का अधिकार अधिनियम  
2005 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं  
पर पशुपालन एवं मत्स्य विभाग  
के अधीन मत्स्य-प्रक्षेत्र का  
मैनुअल ।

## **धारा(4) (1) ख (i)**

### **संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य एवं कर्तव्य**

वित्त विभाग के शाखा के रूप में मत्स्य विकास का कार्य वर्ष 1929 में प्रारंभ हुआ । इसे बाद में उद्योग विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया । वर्ष 1952 में यह मत्स्य शाखा कृषि विभाग को सौंपी गयी । मत्स्य विकास के बढ़ते कदम को देखते हुए, मत्स्य निदेशालय का गठन वर्ष 1964 में किया गया । तबसे यह निदेशालय कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से मत्स्य प्रचार-प्रसार, शोध एवं मत्स्य उत्पादन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से मत्स्य कृषकों को सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय के विभागाध्यक्ष हैं और इनके अधीन संयुक्त मत्स्य निदेशक, उप मत्स्य निदेशक एवं विभिन्न जिलों में पदस्थापित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं । निदेशालय स्तर पर विभाग कार्यों के निष्पादन हेतु निदेशालय में दो प्रशाखाएँ कार्यरत हैं । मत्स्य कार्यों के संपादन, पर्यवेक्षण, प्रशासन एवं कार्यान्वयन हेतु कार्यरत प्रशासनिक स्वीकृत संस्था निम्न प्रकार है :-

संयुक्त मत्स्य निदेशक प्रशिक्षण कार्यालय	-	1
संयुक्त मत्स्य निदेशक अनुसंधान कार्यालय	-	1
उप निदेशक परिक्षेत्र कार्यालय	-	5
जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य		
कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय	-	38

<b><u>कार्यालय खुलने का समय</u></b>	-	9.30 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक
अवकाश का दिन	-	शनिवार, रविवार एवं बिहार गजट में घोषित तिथि

### **निदेशालय में कार्यरत शाखाओं का कार्य निम्न प्रकार है :-**

शाखा - स्थापना	-	अराजपत्रित स्थापना
शाखा- लेखा	-	लेखा
शाखा - राज्य परियोजना इकाई	-	मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कार्यक्रमों का अनुश्रवण

मत्स्य अनुसंधान कार्य हेतु मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, मीठापुर, पटना में स्थापित है । संयुक्त मत्स्य निदेशक के अधीन तीन कनीय अनुसंधान पदाधिकारी के साथ-साथ सहायक निदेशक पदस्थापित हैं । इनके द्वारा विभिन्न शोध कार्य का संपादन एवं क्षेत्रीय स्तर पर होनेवाले मत्स्य विकास के समस्याओं का निदान एवं प्रसार कार्य का संपादन किया जाता है । संयुक्त मत्स्य निदेशक को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त है और इनके अधीन सभी पदस्थापित पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी हैं ।

मत्स्य प्रशिक्षण कार्य हेतु मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र मीठापुर, पटना में स्थापित है । संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार) के अधीन दो व्याख्याता एवं कनीय व्याख्याता पदस्थापित हैं । संयुक्त मत्स्य निदेशक प्रशिक्षण को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त है । और इनके अधीन सभी पदस्थापित पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी हैं ।

## **धारा(4) (1) ख (ii)**

### **आधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य**

प्रधान सचिव/ सचिव सरकार की निदेशों एवं नीतियों को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। वे कार्यपालिका नियमावली के अन्तर्गत सरकार का निर्णय प्राप्त कर उन्हें कार्यान्वित कराते हैं।

निदेशक मत्स्य, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी प्रधान हैं। सभी प्रकार के तकनीकी विषयों में निदेशक विभाग के जिम्मेवार सलाहकार भी हैं।

निदेशक मत्स्य के उत्तरदायित्वों के निर्वहन में समुचित सहयोग एवं अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिये निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनेक पदाधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ पदाधिकारी पदस्थापित है, जो निदेशक मत्स्य के अधीन इनके द्वारा सुपुर्द किये गये कार्यों का सम्पादन एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों एवं नियमों के अन्तर्गत करते हैं।

मत्स्य विकास हेतु प्रचार-प्रसार एवं शोध कार्य ही मत्स्य निदेशालय का मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त निदेशालय के अधीन सभी प्रकार के जलकरों का विकास, बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006, यथा संशोधित 2007 एवं 2010 के तहत जलकरों की बन्दोबस्ती राजस्व वसूली, उन्नत नश्ल के मत्स्य-बीज का उत्पादन एवं मत्स्य कृषकों के बीच वितरण, प्रसार एवं प्रशिक्षण प्रदान करना मुख्य कार्य है। सभी 33 जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण पंजीकृत है, जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी हैं एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं। जिला स्तर पर चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में मत्स्य विकास की योजनाओं को सम्मिलित कर इनके कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व मत्स्य पालक विकास अभिकरण का है। विकास कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह मत्स्य निदेशालय को मत्स्य परिक्षेत्र कार्यालयों से प्रेषित किये जाते हैं, जिनका संकलन मत्स्य निदेशालय में सांख्यिकी पदाधिकारी एवं राज्य परियोजना इकाई द्वारा किया जाता है।

## **धारा(4) (1) ख (iii)**

### **निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया (पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सहित)**

#### **वेतन**

प्रत्येक माह में वेतन विपत्र तैयार कर कोषागार भेजा जाता है। कोषागार से विपत्र पारित होने पर संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

#### **प्राप्ति एवं निर्गत**

निदेशालय में जो भी पत्र अथवा आवेदन प्राप्त होते हैं उन्हें वितरण शाखा के माध्यम से संबंधित शाखा में निदेशक के संक्षिप्त हस्ताक्षर एवं उपयुक्त पृष्ठांकन के बाद भेज दिया जाता है। उसके बाद संबंधित शाखा द्वारा उस पर कार्रवाई अपनाई जाती है। जिसे क्रमबद्ध तरीका से उपस्थापित करते हुए निर्णय लिया जाता है। निर्णय के बाद जो आदेश निदेश होते हैं, निर्गत शाखा के माध्यम से निर्गत किये जाते हैं।

#### **बजट एवं आवंटन**

प्रत्येक वर्ष योजना एवं गैर योजना की आवश्यकताओं के आधार पर बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाता है। विधायिका द्वारा पारित बजट के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। तदुपरान्त बजट प्रावधान के अनुरूप आवंटन संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है।

#### **व्यय**

उपलब्ध कराये गये आवंटन के अनुरूप संबंधित पदाधिकारी वेतन एवं अन्य मद में आवंटित राशि के अनुरूप निकासी करते हैं एवं निकासी के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को समर्पित करते हैं।

#### **पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन**

विभागीय कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण परिक्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। प्रत्येक माह में परिक्षेत्र स्तर पर बैठक कर कार्यरत सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में की जाती है एवं तत् संबंधी प्रतिवेदन परिक्षेत्र कार्यालयों द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाता है। निदेशालय स्तर पर भी विभागीय बैठक प्रतिमाह की जाती है एवं बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाती है एवं विभागीय सभी कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन को समेकित कर सरकार में भेजा जाता है।

#### **स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति**

समय-समय पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति निदेशक मत्स्य के द्वारा नियमानुसार की जाती है। अन्य कार्य भी नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप किये जाते हैं।

**धारा(4) (1) ख (iv)**

**अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान/मानक**

मत्स्य निदेशालय के कार्यों के निर्वहन बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006, यथा संशोधित 2007 एवं 2010 सचिवालय अनुदेश, बजट मैनुअल, वित्त विभाग के द्वारा निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जाता है। बजट उपबंध के अनुसार विभागीय योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है।

**धारा(4) (1) ख (v)**

**अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख**

बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006, यथा संशोधित 2007 एवं 2010 कृषि विभाग के परिपत्र 3293 दिनांक 26.11.66 के अनुसार प्रदत्त वित्तीय शक्ति, मत्स्य निदेशालय पत्रांक 2193 दिनांक 29.10.65 के द्वारा निर्धारित कर्तव्य, निदेशालय पत्रांक 3817 दिनांक 8.11.69 के निदेशानुसार कार्यालय का निरीक्षण, निदेशालय पत्रांक 167 दिनांक 27.1.67 के अनुसार विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है । समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत संकल्प एवं आदेश का अनुपालन किया जाता है ।

यह सभी परिपत्र मत्स्य निदेशालय में उपलब्ध है ।

**धारा(4) (1) ख (vi)**

**ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रसंगों का विवरण।**

अराजपत्रित मत्स्य सेवा के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का सेवा इतिहास, नियुक्ति पत्र, वरीयता सूची, चारित्री, आंतरिक निगरानी प्रतिवेदन, बजट से संबंधित अभिलेख, लौगबुक, लेखा से संबंधित अभिलेख तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभागीय कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन इत्यादि। जिला स्तर पर जलकर प्रबंधन बन्दोबस्ती के एवं जिला में उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी जलक्षेत्रों की सूचना उपलब्ध है। विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत मत्स्यजीवी सहयोग समिति की सूची और समिति संबंधी अन्य विवरण जिला स्तर पर उपलब्ध है।

धारा(4) (1) ख (vii)

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान

वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।



**धारा(4) (1) ख (viii)**

**ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिसका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरणी**

मत्स्य निदेशालय के अधीन सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के तहत, स्क्रीनिंग समिति, क्रय समिति, स्थानान्तरण एवं पदस्थापन समिति, प्रोन्नति समिति का गठन है, लेकिन इसके बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच का प्रावधान नहीं है।

**धारा(4) (1) ख (ix)**

**अपने अधिकारियों की निदेशिका पशुपालन, बिहार, पटना ।**

क्रं०	पदनाम	पदा०/कर्म० का नाम	सेवा/सम्बर्ग	वेतनमान	दुरभाष सं०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	सचिव	श्री संतोष कुमार मल्ल	भा० प्र० से०	37,400-67000	2226543 (O)	-
2	विशेष सचिव	श्री देवेन्द्र प्रसाद	बि० प्र० से०	37,400-67000	2226046 (O)	
3	उप सचिव	श्री कंचन कपूर	बि० प्र० से०	15,600-39000	2226046 (O)	-

**धारा(4) (1) ख (x)**

**पशुपालन विभाग (मुख्यालय) के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक (वेतन) दिनांक 31.03.2006 तक।**

क्र०	नाम	पदनाम	वेतनमान	प्राप्त कुल वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री निशात अहमद	निदेशक मत्स्य	15600-39100 ग्रेड पे0- 7600/-	74939=00	
2	श्री दुर्गा प्रसाद	संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा0.प0.ई0)	15600-39100 ग्रेड पे0- 7600/-	73532=00	
3	श्री योगेन्द्र कुमार मधुप	संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार)	15600-39100 ग्रेड पे0- 7600/-	74511=00	
4	श्री योगेन्द्र प्रसाद	सहायक अभियंता (मु.)	15600-39100 ग्रेड पे0- 6600/-	73167=00	
5	श्री ललन कुमार चौधरी	उप मत्स्य निदेशक (यो.)	9300-34800 ग्रेड पे0- 5400/-	58341=00	
6	श्री बच्चु राम	लेखा पदाधिकारी	15600-39100 ग्रेड पे0- 6600/-	65250=00	
7	श्री रामाकांत शर्मा	मत्स्य निदेशक के सचिव	9300-34800 ग्रेड पे0- 4800/-	55521=00	
8	श्री नीलमणि कुमार	सहायक	9300-34800 ग्रेड पे0- 4800/-	51048=00	
9	श्री रितेश कुमार	सहायक	9300-34800 ग्रेड पे0- 4600/-	43929=00	
10	श्री अवधेश प्रसाद	सहायक	9300-34800 ग्रेड पे0- 4600/-	39831=00	
11	श्री विजेन्द्र कुमार दास	उप मत्स्य निदेशक (सांख्यिकी)	15600-39100 ग्रेड पे0- 6600/-	73734=00	
12	श्री सुमन कुमार	सहायक मत्स्य निदेशक (योजना)	9300-34800 ग्रेड पे0- 5400/-	54128=00	
13	श्री विनोद बहादुर	टंकक (प्रधान)	9300-34800 ग्रेड पे0- 4800/-	55521=00	
14	श्री ईश्वर प्रसाद	उच्च वर्गीय लिपिक	9300-34800 ग्रेड पे0- 4800/-	44874=00	
15	श्री राजीव रंजन कुमार सिंह	मत्स्य प्रसार पदा0	9300-34800 ग्रेड पे0- 4200/-	41115=00	

16	श्री प्रमोद भगत	मत्स्य प्रसार पदा०	9300-34800 ग्रेड पे०- 4200/-	41115=00	
17	श्री संजय कुमार	कनीय अभियंता	9300-34800 ग्रेड पे०- 4200/-	38385=00	
18	श्री देवेन्द्र प्रसाद	चालक	5200-20200	28543=00	
19	श्री नरेश पासवान	अभिलेखवाह	5200-20200 ग्रेड पे०- 2000/-	27267=00	
20	श्री सतीश कुमार	लेखापाल	9300-34800 ग्रेड पे०- 4200/-	39918=00	
21	श्री देव प्रकाश	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	9300-34800 ग्रेड पे०- 4200/-	46554=00	
22	श्री लालचन्द चौधरी	विपत्र लिपिक	5200-20200 ग्रेड पे०- 2800/-	26839=00	
23	श्री राजीव कुमार	रोकड़पाल	5200-20200 ग्रेड पे०- 2800/-	24330=00	

	आदेशपाल (चतुर्थ वर्ग)				
24	श्री छोटे लाल रजक	पदचर	5200-20200 ग्रेड पे0- 2000/-	24345=00	
25	श्री विन्दा प्रसाद	पदचर	5200-20200 ग्रेड पे0- 2400/-	26175=00	
26	श्री अरुण प्रसाद	पदचर	5200-20200 ग्रेड पे0- 2400/-	26532=00	
27	श्री जवाहर लाल यादव	पदचर	5200-20200 ग्रेड पे0- 2400/-	28443=00	
28	श्री सीता राम लाल	पदचर	5200-20200 ग्रेड पे0- 2400/-	26063=00	
29	श्री लक्ष्मी मंडल	पदचर	5200-20200 ग्रेड पे0- 2400/-	28443=00	
30	श्री मुन्ना राम	पदचर	5200-20200 ग्रेड पे0- 2400/-	28002=00	
31	श्री दीनानाथ यादव	पदचर	5200-20200 ग्रेड पे0- 2400/-	26592=00	
32	श्री रंजीत कुमार	पदचर	520020200 ग्रेड पे0- 1650/-	14667=00	
33	श्री आकाश कुमार	पदचर	5200-20200 ग्रेड पे0- 1800/-	15741=00	
34	श्री वलिराम चौधरी	पदचर	5200-20200 ग्रेड पे0- 2000/-	24348=00	

**धारा(4) (1) ख (xi)**

**सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ  
उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट वर्ष 2005- 13. Amt. Crore**

क्र०	शीर्ष/उप शीर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन वितरित	व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	2415 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा 004-अनुसंधान 0001- मत्स्य अनुसंधान योजना (गै. यो) एन. 2415050040001	0.6322	0,6072		
2	2405 – मछली पालन 001-निदेशन तथा प्रशासन 0001- मत्स्य विकास योजना (गै0 यो0) एन. 2405000010001	17,0244	13,4758	7,8112	
3	2405 – मछली पालन 001- अन्तर्देशीय मछली पालन 0001- मत्स्य पालन विकास अभिकरण (गै0 यो0) एन. 2405001010001	7.0871	6.2063	3.2117	
4	2405 – मछली पालन 001- निदेशन तथा प्रशासन 0101-मत्स्य निदेशालय का पुर्नगठन योजना पी. 240500001010	4.15	0.35	0.0983	
5	2405 – मछली पालन 001- निदेशन तथा प्रशासन 0102 – मत्स्य प्रसार योजना पी. 2405000010102	4.00	3.0361	0.5485	
6	2405 – मछली पालन 101- अन्तर्देशीय मछली पालन 0101- विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत मत्स्य विकास पालक अभिकरण पी. 2405001010101	1500000	0.0	0.0	
7	2405 – मछली पालन 101- अन्तर्देशीय मछली पालन 0102- मछुआ सहयोग समितियों के सदस्यों के सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा हेतु अनुदान पी. 2405000010102	0.40	0.145		

8	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मछली पालन 0103– मन मत्स्य का विकास पी. 2405001010103	0.79	0.06	0.03376	
9	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मछली पालन 0104– तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार पी. 2405001010104	60.00	0.00	0.00	
10	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मछली पालन 0107– मछुआरों के लिए आवास, शौचाल, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधायें पी. 2405001010106	5.00	0.00	0.00	
11	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मछली पालन 0107– मत्स्य अनुसंधान योजना पी. 2405001010107	4.30	2.8849	0.00	
12	2405– मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मछली पालन 0110– मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार पी. 2405001010110	0.15	-	-	

## केन्द्र प्रायोजित योजना (केन्द्रांश)

1	2	3	4	5	6
1	2405- मछली पालन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 101- अन्तर्देशीय मछली अभिकरण 0601- मत्स्य पालक विकास अभिकरण सी. 2405001010601	0.45	0.00	0.00	
2	2405- मछली पालन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 101- अन्तर्देशीय मछली पालन 0603- मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना सी. 2405001010603	0.60	-	-	
3	2405- मछली पालन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 101- अन्तर्देशीय मछली पालन 0605- अन्तर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी का विकास सी. 2405001010605	-	-	-	
4	2405- मछली पालन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 120- मछली पालन सहकारी समितियाँ 0601- मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ सी. 2405001200601	5.0	0.00	0.00	

### धारा(4) (1) ख (xii)

#### सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन को रीति जिसमें आवंटित (अनुदान) राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभान्वतों की विवरणी

मत्स्य पालक विकास योजनान्तर्गत अनुदान की राशि लाभुकों को दी जाती है । भारत सरकार के दिशानिदेश के आलोक में अनुदान की राशि स्वीकृत की जाती है । भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप अन्य मत्स्य विकास योजनाओं में अनुदान की राशि बैंक के माध्यम से लाभुक को दिया जाता है ।

विभिन्न योजनायें, जिसमें अनुदान की राशि दी जाती है, की सूचना निदेशालय एवं जिला मत्स्य कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । लाभुकों की सूची जिला मत्स्य कार्यालय में उपलब्ध है ।



### **धारा(4) (1) ख (xiii)**

#### **अपने द्वारा रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्ति कर्त्ताओं की विशिष्टियाँ**

बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 यथा संशोधित 2007 एवं 2010 के तहत मत्स्य निदेशालय के अधीन जलकरों के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन बन्दोबस्ती रियायती दरों पर मत्स्य सहयोग समिति एवं इनके सदस्यों अथवा मछुआरों के स्वयं सहायता समूह के साथ की जाती है । अधिनियम के धाराओं के अन्तर्गत शिकारमाही का परवाना एवं राजस्व वसूली की जाती है । इसकी सूचना जिला स्तर पर उपलब्ध है ।

धारा(4) (1) ख (xiv)

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

ऐसी सम्प्रति कोई सूचना नहीं है।

धारा(4) (1) ख (xv)

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे का उल्लेख हो।

कृषि अनुसंधान केन्द्र, मीठापुर, पटना के पुस्तकालय में मत्स्य विज्ञान से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। जनता द्वारा उनका उपयोग उसके वाचनालय में किया जा सकता है।

**धारा(4) (1) ख (xvi)**

**लोक सूचना अधिकारियों, सहायकों के सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं विशिष्टियाँ**

क्र०	नाम	पदनाम	अधिकार क्षेत्र	फोन न०	अपीलीय अधिकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री ललन कुमार चौधरी	उप मत्स्य निदेशक (रा.प.ई.)	निदेशालय स्तर	9473191628	योगेन्द्र कुमार, मधुप संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार)	लोक सूचना पदाधिकारी
2	—	संयुक्त सचिव, पशुपालन बिहार, पटना	सचिव स्तर	0612- 2224962	सचिव, पशुपालन	लोक सूचना पदाधिकारी
3	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना	पटना जिला	9473191517	पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
4	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नालन्दा	नालन्दा जिला	9473191526	पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
5	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भोजपुर	भोजपुर जिला	9473191518	पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना,	लोक सूचना पदाधिकारी
6	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रोहतास	रोहतास जिला	9473191523	पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
7	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर	भागलपुर जिला	9473191532	भागलपुर परिक्षेत्र उप निदेशक,	लोक सूचना पदाधिकारी
8	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खगडिया	खगडिया जिला	9473191534	भागलपुर परिक्षेत्र उप निदेशक,	लोक सूचना पदाधिकारी
9	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर	मुंगेर जिला	9473191530	भागलपुर परिक्षेत्र उप निदेशक,	लोक सूचना पदाधिकारी
10	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर जिला	9473191542	तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
11	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी	सीतामढ़ी जिला	9473191541	तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी

12	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वैशाली	वैशाली जिला	9473191557	तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
13	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बेतिया	बेतिया जिला	9473191540	तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
14	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मोतिहारी	मोतिहारी जिला	9473191569	तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
15	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ जिला	9473191547	कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी
16	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कटिहार	कटिहार जिला	9473191538	कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी
17	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अररिया	अररिया जिला	9473191552	कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी
18	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, किशनगंज	किशनगंज जिला	9473191549	कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी
19	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दरभंगा	दरभंगा जिला	9473191527	दरभंगा परिक्षेत्र उप निदेशक, दरभंगा	लोक सूचना पदाधिकारी
20	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बेगूसराय	बेगूसराय जिला	9473191535	भागलपुर परिक्षेत्र उप निदेशक,	लोक सूचना पदाधिकारी
21	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधुबनी	मधुबनी जिला	9473191527	दरभंगा परिक्षेत्र उप निदेशक, दरभंगा	लोक सूचना पदाधिकारी
22	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, समस्तीपुर	समस्तीपुर जिला	9473191529	दरभंगा परिक्षेत्र उप निदेशक, दरभंगा	लोक सूचना पदाधिकारी
23	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, छपरा	छपरा जिला	9473191561	तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
24	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीवान	सीवान जिला	9473191571	तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी

25	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोपालगंज	गोपालगंज जिला	9473191564	तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
26	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गया	गया जिला	9473191563	पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
27	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नवादा	नवादा जिला	9473191524	पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
28	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद	औरंगाबाद जिला	9473191521	पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
29	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जहानाबाद	जहानाबाद जिला	9473191543	पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
30	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा	सहरसा जिला	9473191550	कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी
31	—	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधेपुरा	मधेपुरा जिला	9473191551	कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी

**धारा(4) (1) ख (xvii)**

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अधतन करेगा।

राज्य में विभिन्न प्रकार के जलश्रोत एवं जलक्षेत्र, 2012-13		
1	तालाब एवं पोखर	80029.285 (हेक्टर)
2	ऑक्सचो लेक (मन)	16172.00 (हेक्टर)
3	मन एवं चौर	941000.00 (हेक्टर)
4	जलाशय	26303.77 (हेक्टर)
5	नदी	3200 (कि.मी.)
6	सरकारी मत्स्य प्रक्षेत्रों की संख्या	121
7	हैचरी (निगम)	2
8	हैचरी (निजी)	94
9	कुल मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की संख्या	38
10	सभी श्रोतों से कुल मत्स्य उत्पादन	400.140 ( टी.एम.टी.)
11	कुल मत्स्य बीज उत्पादन	473.83 (मिलीयन)